

7/8  
23

प्राचीगिण व प्राचीगिण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राचीगिण व प्राचीगिण अधिवक्ता को रुक-रूक कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राचीगिण का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विधेयासा दिनांक 12/04/2023 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निगति होकर गम्बर से कम होकर वाकिल पकतर हो।

(5)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर